न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 104/017 तारीख रजू 24.11.2017

विजय कुमार शुक्ला पुत्र हजारीलाल जाति ब्राहामण निवासी जमालपुर तहसील हिण्डौन
:—अपीलान्टस

बनाम

1. विजयसिंह पुत्र सुबुद्वीराम जाति जाटव निवासी जमालपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली
2. अशोक कुमार पुत्र हजारी
3. लखन पुत्र हजारी
4. कैलाशचंद पुत्र ब्रहानंद
5. नित्यानंद पुत्र ब्रहांनंद

} जाति ब्राहामण निवासी जमालपुर तह0 हिण्डौन जिला करौली

— रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्व तहसीलदार हिण्डौन दिनांक 02.09.2016 उनवानी प्रकरण विजयसिंह बनाम विजयकुमार वगै0 अन्तर्गत धारा 183 ख राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, वमुकदमा नं. 1/2015 पीठासीन अधिकारी

निर्णय दिनांक 04.09.2019

संक्षिप्त मे प्रकरण इस प्रकार है। कि वकील अपीलान्ट ने अपीलान्ट की ओर से तहसीलदार हिण्डौन के निर्णय दिनांक 02.09.2016 से अप्रशन्न होकर अपील पेश कर बताया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गैरसायल संख्या 1 व 4 की तामील होने एवं शेष की तामील के आदेश दिये गये किन्तु कोई तलवाना पेश नही करने पर दिनांक 26.06.2015 को गैरसायल नं. 2,3,5 की चस्पागी से तामील मानते हुए उक्त प्रकरण को पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट मगवाने हेतु दिनांक 08.07.2015 नियत की गई गैरसायल नं. 1 व 4 स्वयं उपस्थित थे तहसीलदार ने स्वयं ने मौका देखा मौका देखने के बाद में पत्रावली पेण्डिग मे रखते हुए अचानक दिनांक 02.09.2016 को पत्रावली प्राप्त कर विना सुनवाई के ही निर्णय पारित कर दिया गया जिसकी जानकारी दिनांक 20.11.2017 को पटवारी हल्का के बताने पर हुई प्रकरण में समस्त कार्यवाही एक पक्षीय की गई है। विवादित आराजी खसरा नं. 612, रकवा 31 ऐयर वाके ग्राम जमालपुर तहसील हिण्डौन में स्थित है। जो आम रास्ते के उपयोग में आम जनता उपभोग कर रही है। इस भूमि पर रेस्पोडेण्ट का कोई कब्जा 20 साल से नही है। पटवारी हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट में रास्ता का उपयोग मे होना बताया गया है। अपीलान्टी/ विपक्षी नं. 1 का 10 गुणा 40 फिट का निर्माण पटवारी हल्का द्वारा इसी खसरा नं. में बताया गया है।

पटवारी हल्का द्वारा नही किया गया है। सायल द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में सहखातेदारो को पक्षकार नही बनाया गया है। तहसीलदार ने बिना सुनवाई के ही अचानक निर्णय पारित किया गया है जो विधिविरूद्व है अंत में अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन करते हुए तहसीलदार हिण्डौन का निर्णय दिनांक 02.09.2016 को अपास्त फारमाया जावे।

अपील अपीलान्ट दर्ज पंजिका कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलव करते हुए अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की गई। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 जरिये वकालान्तन उपस्थित आये रेस्पोडेण्ट संख्या 2,3,4,5 बाबजूद सूचना से उपस्थित नही है।

अभिभाषकगणो की बहस सुनी गई। तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वकील अपीलान्ट ने अपने बहस कथन में अपील मीमो को दोहराते हुए निवेदन किया है कि खसरा नं. 612 रकवा 31 एयर में से भूमि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 30.09.2009 को जरिये एग्रीमेण्ट से क्रय करके कब्जा प्राप्त किया गया है। जिसकी सम्पूर्ण राशि सायल को देने के पश्चात ही कब्जा प्राप्त किया गया है। एग्रीमेण्ट 100 रूपये के नोन जूडिसिल स्टाम्प पर आवासीय हेतु क्रय किया गया है। मौके पर हमारे मकानात बने हुए है तहसीलदार ने एक तरफा निर्णय पारित किया गया है। जिरह नही की गई है। खातेदार का 20 साल से कोई कब्जा नही है। समस्त जमीन रास्ते के उपयोग में काम आ रही है। पटवारी हल्का ने भी अपनी रिपोर्ट में भूमि को रास्ते में आना बताया गया है। इस सम्बंध में निम्न रूलिग आर आर टी 1997 पेज नं. 191 आर आर टी 2010 पार्ट सेकिण्ड पेज नं. 808 आर आर टी 2011 पेज नं. 386 पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेण्ट ने अपने बहस कथन में कहा है कि खातेदार अनुसुचित जाति का है। खरीद दार सर्वण जाति का है। धारा 42 का उल्लंघन है। आवासीय हेतु खरीदी गई थी तो उस पर आवासीय प्रयोजन में नही ली गई है। यदि दिनांक 27.11.1989 के बाद कोई विक्रय है तो वह रजिस्ट्रर्ड होना चाहिए सरूप पुत्र दौजी को बेचने का कोई अधिकार नही है। तहसीलदार द्वारा निर्णय सुनने के बाद ही पारित किया गया है। पटवारी हल्का ने 2015 में मौका रिपोर्ट मय नक्शा पेश की है भूमि सिचिंत है। तथा पास में कुआ है। रोड के किनारे है कुआ सूख जाने पर फसल कास्त नही की जा सकती जो रूलिंग अपीलान्ट द्वारा पेश की गई है। जो इस पर चस्पा नही होती है। कोई व्यक्ति इस प्रकार भूमि खरीदता है तो वह विधिविरूद्व है। अपील म्याद बाहर है। इस संम्बंध में 2014 (2) आर.आर.जे. पेज नं. 1444 2014 (1) आर.

हिस्सा 1/2 विजयसिंह पुत्र सुबुद्वीराम हिस्सा 5/12 दौजी पुत्र गयारसा जाति चमार हिस्सा 1/12 वाके ग्राम जमालपुर तहसील हिण्डौन के नाम खातेदारी में दर्ज है। जहा पर वकील अपीलान्ट का अपने अपील मीमो एवं प्रसतुत एग्रीमेण्ट दिनांक 30.09.2009 में कथन था कि विवादित आराजी को 75 हजार रूपये में विजयसिंह पुत्र सुबुद्वी ओर सरूप पुत्र दौजी से क्रय करके कब्जा प्राप्त किया गया है। तभी से भूमि पर काबिज है बहा पर यह है कि राजस्थान पंजियन अधिनियम की धारा 35 के तहत 100 रूपये से अधिक की बिक्री/क्रय होने पर उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। वहा पर अपीलान्ट द्वारा एसा कोई रजिस्ट्रेशन कार्यवाही नही की गई है। यदि आवासीय में भूमि क्रय कर आवासीय प्रयोजन के कार्य में ली जा रही है तो इस सम्बंध तकमील मुआयदा (संविदा के पालन के लिए बाद) सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए थी जो नही की गई है। खातेदार अनुसुचित जाति का व्यक्ति है। जिसकी भूमि सर्वण जाति के लोग क्रय नही कर सकते है। धारा 42 का उल्लंघन है। जहा पर वकील अपीलान्ट नें अपने अपील मीमो में भूमि पर अपना कब्जा तथा भूमि का सीमाज्ञान नही होने पर सही स्थिति का ज्ञान नही होना बताया गया है। बहा पर अपीलान्ट अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं. 611 सीमाज्ञान कराने में सक्षम था अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर तहसीलदार द्वारा आवेदक का विधिवत सुनवाई हेतु पक्षकारान को नोटिस दिया गया है। तथा जहा पर सहखातेदार पक्षकार न बनने का सवाल है। वहा पर धारा 188 व 183 में सहखातेदारो को पक्षकार बनाना आवश्यक नही है सहखातेदार भी अपना बाद दीगर व्यक्ति के खिलाफ ला सकता है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी मात्र अनुसुचित जातियो की भूमियो पर अन्य जातियो के व्यक्तियो द्वारा अतिक्रमित करने पर उन्हे हटाने के लिए बनाई गई है। इस प्रकरण में तहसीलदार नें विधि अनुसार सुना गया है। पटवारी हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट के साथ नक्शा ट्रेस भी पेश किया गया है। जिसमें लाल स्याई से अंकित भूमि पर अपीलान्ट का कब्ज बताया गया है। जो रूलिंग वकील अपीलान्ट द्वारा पेश की गई है। इस प्रकरण पर चस्पा नही होती है। बिक्रय नियम विरूद्व हुआ है। तथा रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत रूलिग इस प्रकरण पर पूर्णरूपेण चस्पा है जिससे हम सहमत है। तहसीलदार हिण्डौन द्वारा जो निर्णय दिनांक 02.09.2016 को पारित किया गया है। उस निर्णय में हम किसी प्रकार का फेर बदल करना उचित नही समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहसीलदार हिण्डौन का मु. नं. 104/17 उनवानी विजयसिंह बनाम विजय कुमार में पारित निर्णय दिनांक 02.09.2016 को यथावत